<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

<u>फा. सं. 6/26/2026– डीजीटीआर</u>

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 25 जून, 2026

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

(मामला सं. एडी (ओआई) 24/2026)

(सेतु मामला आई.डी.एडी/ ओआई /028/2026)

विषय: चीन जन. गण. चीन जन. गण., जापान तथा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिश्रधातु अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/26/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियम" कहा गया है) के अनुसार, मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू विजयनगर मेटालिक्स लिमिटेड तथा जिंदल स्टील ओडिशा लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., जापान तथा रूस (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिश्रधातु अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर किया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आगे और

महत्वपूर्ण क्षति होने का खतरा विद्यमान है तथा उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "मिश्रधातु अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, जो क्लैड, प्लेटेड अथवा कोटेड न हों तथा जिनकी मोटाई 25 मिमी तक और चौड़ाई 2100 मिमी तक हो" है।

4. विचाराधीन उत्पाद में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो हॉट-रोलिंग से आगे संसाधित नहीं किए गए हैं तथा मिश्रधातु अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के फ्लैट उत्पाद हैं, चाहे वे प्राइम अथवा नॉन-प्राइम स्थिति में हों और जिनके किनारे "एज़-रोल्ड", "ट्रिम्ड", "स्लिट", "मिल्ड", "शीयर्ड", "लेज़र-कट", "गैस-कट" अथवा किसी अन्य प्रकार के हों। ये उत्पाद पिकल्ड अथवा नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास अथवा टेम्परिंग सहित या बिना), स्लिट अथवा नॉन-स्लिट, नॉर्मलाइज़्ड अथवा अननॉर्मलाइज़्ड, अल्ट्रासोनिक परीक्षणयुक्त अथवा परीक्षणरहित, ऑयल्ड अथवा नॉन-ऑयल्ड हो सकते हैं। ये उत्पाद "एज़-रोल्ड", "थर्मो-मैकेनिकल रोल्ड", "थर्मो-मैकेनिकल कंट्रोल्ड रोल्ड", "कंट्रोल्ड रोल्ड", "नॉर्मलाइज़्ड रोल्ड", "नॉर्मलाइज़्ड" अथवा अन्य समान प्रक्रियाओं से गुजरे हो सकते हैं। इन उत्पादों पर पिकलिंग, ऑयलिंग, रीवाइंडिंग, रीकॉइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि जैसी विभिन्न प्रसंस्करण प्रक्रियाएं भी की गई हो सकती हैं। ये उत्पाद सैंड ब्लास्टेड, शॉट ब्लास्टेड अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं से भी गुजरे हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में कॉयल रूप में तथा कट-टू-लेंथ रूप में उपलब्ध हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल हैं।

5. निम्नलिखित विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऑटोमोबाइल, तेल एवं गैस पाइपलाइन/अन्वेषण, कोल्ड रोल्ड इस्पात उत्पादों, पाइप निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन, निर्माण क्षेत्र, पूंजीगत वस्तुओं, सीमेंट, उर्वरक एवं रिफाइनरी उद्योगों के प्रक्रिया उपकरणों, अर्थ-मूविंग उपकरणों आदि में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षकों 7208, 7211, 7225 तथा 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

7. विचाराधीन उत्पाद में स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल नहीं हैं।

8. आवेदकों ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है, जिसे वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिश्रधातु अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच, मामला सं. एडी (ओआई)-13/2024 में अपनाया गया था, जिसके अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13

अगस्त, 2025 को जारी किए गए थे।

संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रस्तावित पीसीएन				
क्र.सं.	विशेषता	अंक	विवरण	कोड
1	उत्पाद प्रकार	1	मिश्रधातु	A
			गैर-मिश्रधातु	N
2	मोटाई	1	5 मिमी तक एवं सहित	C
			5 मिमी से अधिक	D
3	चौड़ाई	1	1500 मिमी तक एवं सहित	U
			1500 मिमी से अधिक	M

9. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में, यदि कोई टिप्पणियां हों, तो जांच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं तथा उपभोक्ता उनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग करते हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. यह आवेदन मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू विजयनगर मेटालिक्स लिमिटेड तथा जिंदल स्टील ओडिशा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। इस आवेदन का समर्थन टाटा स्टील लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है।

12. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि समर्थनकर्ता के अतिरिक्त भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड ("एएमएनएस") है, जिसकी जापान में एक संबद्ध इकाई निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन है, जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। एएमएनएस ने क्षति जांच अवधि के दौरान निप्पॉन स्टील से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत एएमएनएस को घरेलू उद्योग का भाग माने जाने हेतु अयोग्य माना है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक तथा समर्थनकर्ता मिलकर जांच अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन का एक प्रमुख भाग प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदकों को घरेलू उद्योग माना है। इसके अतिरिक्त, यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., जापान तथा रूस हैं।

ङ. जांच की अवधि

15. आवेदकों ने 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षति जांच अवधि में 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024, 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तथा वर्तमान जांच अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं कर देते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य नियमावली के परिशिष्ट-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. आवेदकों ने दावा किया है कि कोरिया गणराज्य (एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश) से आयात कीमत, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु उपयुक्त है, क्योंकि कोरिया गणराज्य भारत को संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तथा वह एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

18. अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में कोरिया गणराज्य से आयातित संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों के आधार पर किया गया है, जिसमें समुद्री माल-भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह एवं हैंडलिंग प्रभार, कमीशन तथा बैंक शुल्कों के लिए समायोजन किया गया है। आवेदकों के इस दावे की जांच के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के उपरांत और अधिक समीक्षा की जा सकती है। जांच की शुरुआत के उद्देश्य से चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पद्धति के आधार पर किया गया है।

ख) जापान एवं रूस के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदकों ने जापान तथा रूस के लिए सामान्य मूल्य का दावा उन देशों के घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया है। आवेदकों ने बिगमिंट तथा प्लैट्स रिपोर्ट में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जानकारी प्रस्तुत की है।

20. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत के उद्देश्य से संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण के संबंध में आवेदकों के दावे को स्वीकार किया है।

ग) निर्यात कीमत

21. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में उपलब्ध सीआईएफ कीमत के आधार पर किया गया है। समुद्री माल-भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल-भाड़ा, ऋण लागत तथा संबद्ध आयातक की हानियों के लिए समायोजन किए गए हैं।

घ) पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम (डी-मिनिमिस) स्तर से अधिक है तथा संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। अतः पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद को भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है।

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

23. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा भारत

में मांग के सापेक्ष वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर रही थीं तथा इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव और गिरावट आई है। बिक्री में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के औसत भंडार में वृद्धि हुई है। यह भी दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण आवेदकों को हानियों तथा निवेश पर प्रतिफल में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

24. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि आयात मात्रा में तीव्र वृद्धि, आयात कीमतों में गिरावट, संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमताएं, उनकी क्षमता विस्तार योजनाएं तथा अन्य देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक एवं टैरिफ उपायों के कारण संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति पहुंचाने की आशंका उत्पन्न करते हैं।

25. पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तथा ऐसे आयात घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति पहुंचाने की आशंका भी उत्पन्न कर रहे हैं।

ज. शुल्कों का भूतलक्षी अधिरोपण

26. आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को भूतलक्षी प्रभाव से अधिरोपित करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से भूतलक्षी अधिरोपण आवश्यक है:

क. भारत में पाटन का पूर्व इतिहास रहा है, जैसा कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पूर्व जांचों से स्पष्ट है।

ख. आयातकों को वर्तमान संबद्ध देशों द्वारा किए जा रहे पाटन की जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि पूर्व जांचों में उन मूल्य स्तरों का निर्धारण किया गया था जिन पर पाटन पाया गया था।

ग. यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है तो संबद्ध देशों से पाटन में और वृद्धि होने की संभावना है। यदि पाटनरोधी शुल्क तत्काल नहीं लगाया गया तो घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

27. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत समर्थित आवेदन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों, जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन, घरेलू उद्योग को उससे होने वाली क्षति तथा दोनों के बीच कारणात्मक संबंध को पुष्ट करते हैं, से संतुष्ट होने के पश्चात तथा अधिनियम की धारा 9क और नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की विद्यमानता, उसकी मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने हेतु पाटनरोधी जांच

प्रारंभ करते हैं, जो यदि अधिरोपित की जाती है, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ञ. प्रक्रिया

28. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्चयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

30. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, और भारत में उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। इस तरह की समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में उल्लिखित रूप में और तरीके के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

31. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को उसकी एक अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

33. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य समान सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर

जारी होने वाली जानकारी से अवगत रहने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट पर नियमित रूप से दृष्टि बनाए रखें।

ठ. समय सीमा

34. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले की आईडी AD/OI/028/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठों, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना आवश्यक है और यह अपलोड उस तारीख से 37 दिनों के भीतर करना होगा जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है।

35. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस सूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे अथवा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

36. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी आगामी सूचना के माध्यम से पीयूसी अथवा पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अवधि संशोधित पीयूसी अथवा पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच की शुरुआत के पश्चात पीयूसी अथवा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के इस विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे अतिरिक्त समय के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, और वह भी नियम 6(4) के अनुरूप।

37. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपर्युक्त मूल समय सीमा समाप्त होने से कम-से-कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना

चाहिए। इसके बाद प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

38. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता हैं।

39. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारें को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

40. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

41. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

42. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए।

43. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की सामग्री को उचित रुप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और कारणों का ऐसा विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि ऐसा

सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, और यह विवरण प्राधिकारी के लिए संतोषजनक होना चाहिए।

44. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि जानकारी का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

45. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ण. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-06-2026
18:29:36